न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा0प्र0क्र ....

अ–62 / 2024–25

सूरज प्रसाद आ0 बिरझु
सा0 तेलईकछार तहसील व
जिला सूरजपुर छ0ग0
प्रति
छत्तीसगढ़ शासन

।। आदेश ।।
(दिनांक 28 /02 /2025)
(छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के अंतर्गत)

प्रकरण आवेदक के आवेदन पत्र के आधार पर प्रारंभ किया गया। आवेदक सूरज प्रसाद आ बिरझु सा0 तेलईकछार तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0 के द्वारा ग्राम तेलईकछार स्थित अपने खाते की भूमि ख0नं0 257 रकबा 0.48 हे0 भूमि पर निर्मित 05 नग नीलगिरी प्रजाति के वृक्ष को कटवाने हेतु अनुमति बावत् खसरा, नक्शा सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- प्रकरण विधिवत शीर्ष अ-62 में पंजीबद्व किया जाकर हल्का पटवारी एवं वन परिक्षेत्र सहायक से संयुक्त जांच प्रतिवेदन आहुत किया गया। हल्का पटवारी एवं वन परिक्षेत्र सहायक द्वारा अपने प्रतिवेदन सह पंचनामा में उल्लेख किया है कि ग्राम तेलईकछार स्थित आवेदक के खाते की भूमि ख0नं0 257 रकबा 0.48 हे0 पर नीलगिरी प्रजाति के कुल 05 नग वृक्ष मौजूद होना बताया गया है।

- खातेदार/आवेदक का कथन अभिलखित किया गया। आवेदक द्वारा अपने कथन में ग्राम तेलईकछार स्थित अपने खाते की भूमि खसरा नंबर 257 रकबा 0.48 हे0 05 नग नीलगिरी प्रजाति का वृक्ष मौजूद है जिसे मेरे पूर्वजो के द्वारा लगभग 1990-91 में लगाया गया था। मेरी उक्त भूमि पर मौजूद वृक्षों के निकट 30 मीटर के अन्दर कोई तालाब, अथवा जलाशय अवस्थित नही है और ना ही उक्त वृक्ष के आसपास कोई पवित्र स्थान नही है। उक्त वृक्ष वन महोत्सव कार्यक्रम अथवा शासन की किसी योजना के अंतर्गत रोपित नही किया गया है। आवेदित भूमि पर निर्मित वृक्ष परिपक्व व काफी पुराना हो चुका है जिन्हे मै अपने निजी प्रयोजन हेतु कटवाना चाहता हुं । जिसके लिये मैने श्रीमान् जी के न्यायालय में वृक्ष काटने की अनुमति हेतु आवेदन पेश किया गया है उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की जावे। यही मेरा कथन है।

- प्रकरण का अवलोकन कर परिशीलन किया गया। प्रकरण में संलग्न राजस्व अभिलेख व हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम तेलई कछार स्थित भूमि खसरा नंबर 257 रकबा 0.48 हे0 भूमि आवेदक के नाम पर संयुक्त खाते में भूमिस्वामी हक में दर्ज है प्रस्तुत प्रतिवेदन में उक्त आवेदित भूमि पर नीलगिरी प्रजाति का 05 नग वृक्ष मौजूद होना बताया गया है। आवेदक खातेदार उक्त आवेदित भूमि स्थित नीलगिरी प्रजाति के वृक्षों को परिपक्व एवं पुराना हो जाने के कारण अपने निजी प्रयोजन में उपयोग करने हेतु

अनुविभागीय अधिकारी छ.ग. शासन सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

कटवाने की अनुमति हेतु आवेदन पेश किया है । जो आवेदक की निजी भूमि पर स्वरोपित वृक्ष है जिसे व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आवेदक के द्वारा रोपित किया गया है उक्त वृक्ष कटाई के संबंध में छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 के अनुक्रम में बनाये गये नियम प्रभावशील है। जिसे छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2023की कण्डिका क्रमांक 8रोपित वृक्षों की कटाई :- (1)- छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1989(क्र. 9 सन् 1989) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927(1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 परिवहन(वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार भूमिस्वामी अपने खाते की भूमि पर स्वरोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।

– अतएव आवेदक सूरज प्रसाद आ बिरझू सा0 तेलईकछार तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0 के ग्राम तेलई कछार स्थित भूमि खसरा नंबर 257 रकबा 0.48 हे0 पर स्थित स्वरोपित नीलगिरी प्रजाति के वृक्षों को काटे जाने की अनुमति/अनापत्ति छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 व छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 में वर्णित प्रावधानों एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

आज दिनांक 28/02/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा सहित आदेश पारित व उद्घोषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

1- वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ ।

2- तहसीलदार सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3- आवेदक सूरज प्रसाद आ बिरझू सा0 तेलईकछार तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0 को वृक्ष कटाई एवं राजस्व अभिलेखों में अद्यतन कराने हेतु सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
सूरजपुर

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, सूरजपुर (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) (छ.ग.) सूरजपुर, जिला-सूरजपुर
छ.ग. शासन